मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 01.06.2026

क्रमांक 1/1/41/0002/2026-Sec-1-08(TRP) – माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO याचिका क्रमांक 02/2026 में दिनांक 17.04.2026, 14.05.2026 एवं 26.05.2026 को चंबल अभ्यारण्य से लगे जिलों भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने, बिना नंबर प्लेट के संचालित वाहनों एवं बिना पंजीयन के संचालित वाहनों पर कार्यवाही करने एवं खनन कार्य में लगे समस्त वाहनों में जीपीएस संस्थापित करने हेतु निर्णय पारित किये गये हैं।

2/– अतः राज्य शासन एतद्द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–5 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :–

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्री विक्रमजीत कंग	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर	प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुरैना
2	श्री पी.एस.भिलाला	परिवहन निरीक्षक	संभागीय उप परिवहन आयुक्त कार्यालय, जबलपुर	परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश क्रमांक 134/टीसी/2026, दिनांक 21.05.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला भिण्ड के स्थान पर परिवहन निरीक्षक के पद पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुरैना
3	श्रीमती मीनाक्षी गोखले	परिवहन उप निरीक्षक	अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मंदसौर	परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश क्रमांक 134/टीसी/2026, दिनांक 21.05.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला श्योपुर के स्थान पर प्रभारी परिवहन निरीक्षक के पद पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुरैना
4	श्री जगदीश सिंह भील	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	जिला परिवहन अधिकारी, रायसेन	जिला परिवहन अधिकारी, श्योपुर
5	श्री राजेश गुप्ता	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, इन्दौर	जिला परिवहन अधिकारी, रायसेन
6	श्रीमती अर्चना परिहार	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुरैना	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, संभागीय उप परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुरैना

7	श्री राजेन्द्र सोनी	परिवहन निरीक्षक	जिला परिवहन अधिकारी, निवाड़ी	जिला परिवहन अधिकारी, भिण्ड

2/— माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन सख्ती से प्रारंभ हो जाने, जिला मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड में लगाये गये अतिरिक्त अमलों द्वारा संस्थागत व्यवस्था के तहत सुचारू प्रवर्तन संबंधी कार्य प्रारंभ किये जाने तथा श्रीमती अर्चना परिहार, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अवकाश से लौटने पर श्री विक्रमजीत कंग, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की पदस्थापना प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर के पद पर प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी।

3/— यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उक्त स्थानांतरण प्रशासकीय दृष्टि से किये जा रहे हैं। अतः स्थानांतरित अधिकारी तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

पृ. क्रमांक 1/1/41/0002/2026-Sec-1-08(TRP) **भोपाल दिनांक 01.06.2026**

प्रतिलिपि —

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशा), कार्यालय परिवहन आयुक्त, ग्वालियर।
4. संभागीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल/उज्जैन/इन्दौर/ग्वालियर/चम्बल/जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला इन्दौर/मुरैना/श्योपुर/रायसेन/ग्वालियर/भिण्ड/मंदसौर/जबलपुर/निवाड़ी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. संबंधित अधिकारी .... की ओर पालनार्थ।
7. गार्ड फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

C:\Users\Mptra\Downloads\manish order1.docx-2